

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का विवरण:-

छात्रवृत्ति वितरण योजना— उपलब्धियां एवं कार्ययोजना निम्नांकित हैं—

01. छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक

(राशि लाखों में)

छात्रवृत्ति वर्ग पूर्व मैट्रिक	आवंटन सत्र 2015–16	दिसम्बर 2015 तक व्यय	लाभान्वित
अनुसूचित जाति NP	2007.62	469.99	
अनुसूचित जनजाति NP	1954.50	414.95	
अन्य पिछड़ा वर्ग NP	50.64	0.00	
विशेष पिछड़ा वर्ग	246.99	11.90	
सफाई से जुड़े कार्यों एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में लिप्त कृतिसंरचनाओं के बच्चों को देय छात्रवृत्ति		नोडल अधिकारी निदेशक मा.शि से अभी तक बजट अप्राप्त	लाभान्वितों की सूचना संत्रान्त में प्राप्त की जावेगी।
अल्पसंख्यक वर्ग			
अन्य पिछड़ा वर्ग	486.39	15.69	

02. छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक

छात्रवृत्ति वर्ग पूर्व मैट्रिक	आवंटन	दिसम्बर 2015 तक व्यय
अनुसूचित जाति	अप्राप्त	-
अनुसूचित जनजाति	अप्राप्त	-
अन्य पिछड़ा वर्ग	अप्राप्त	-
विशेष पिछड़ा वर्ग	8 लाख	2.84 लाख

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण 2015–16— राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा राजकीय विद्यालयों की तरह ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी परियोजना / शैक्षिक परियोजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा संचालित किये जा रहे वैकल्पिक विद्यालयों, नवाचारी शिक्षा केन्द्रों, सहज शिक्षा केन्द्रों, शिक्षा मित्र केन्द्रों, राष्ट्रीय बालाश्रम परियोजना, राज.मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसा, मॉ—बाड़ी प्राथमिक केन्द्रों, मॉडल स्कूल केन्द्रों एवं भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान, राजस्थान द्वारा संचालित वनवासी परियोजना बांसवाड़ा के विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अन्तर्गत पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 में 2 करोड़ 80 लाख नई पुस्तकें वितरण की गई। अभी तक 20.73 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल जयपुर को किया जा चुका है शेष भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	प्राप्त बजट	व्यय
विवरण 2015–16	7000.00 लाख	2073.00 लाख

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना— राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। यह योजना समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के नवाचारी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर लागू है। इसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता है। विद्यार्थी की दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की दशा में माता/पिता/संरक्षक को बीमे की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त योजनान्तर्गत सत्र 2015–16 हेतु दिनांक 15.08.2015 से 14.08.2016 तक बीमा का नवीनीकरण कर 5.20 करोड़ रुपये का भुगतान निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को किया जा चुका है।

विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना	वर्ष 2015–16 हेतु आवंटित बजट की सूचना	
	आवंटन	व्यय
	520.15 लाख	बीमा राशि का भुगतान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा मृतक अथवा दुर्घटनाग्रस्त विद्यार्थी के माता–पिता/संरक्षक को किया जाता है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

1	योजना का नाम	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाना।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1996 व संशोधन:- 2011
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के नवाचारी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ।
5	पात्रता	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.00 लाख रु0 एवं दुर्घटना में अन्य शारीरिक क्षति होने पर 1000 रुपये से लेकर 1.00 लाख रु0 तक का भुगतान किया जाता है।
7	आवेदन का तरीका	छात्र छात्रा के दुर्घटना में मृत्यु/अन्य शारीरिक क्षति होने पर दावा संबंधित शाला प्रधान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र(संलग्न) में जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को तैयार कर तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करना होता है।
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित शाला प्रधान के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	(1) दुर्घटना होने का चिकित्सक का प्रमाण पत्र (2) मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय का शाला प्रधान
11.	कार्य न होने पर शिकायत/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/अति.निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, जयपुर

प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत प्रीमैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

क्र.सं	विवरण	पात्र	स्तर	कक्षावार मासिक दर (जुलाई से अप्रैल)	आय सीमा
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा	कक्षा 6 से 8	छात्र 75 रु.प्रति माह छात्रा 125 रु. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	आयकर दाता न हो।
2.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रा	कक्षा 6 से 8	छात्र 75 रु.प्रति माह छात्रा 125 रु. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	आयकर दाता न हो।
3.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (बॉर्डर ऐरिया) के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	विमुक्त एवं घुमन्तु लधा सीमान्त ऐरिया में विधालयों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	छात्र 15 रु.प्रति माह छात्रा 20 रु. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	आयकर दाता न हो।
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (के.प्र.यो) (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	40 रु प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु)	44500/- वार्षिक आय
5.	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के विद्यार्थी	कक्षा 1 से 8	कक्षा छात्रावासी— डेस्कॉलर (रु. प्र.मा.) 1-2 — 110 रु 3-8 700 रु. 110 रु. 1000 रु. वार्षिक अनुदान (हॉस्टलर) (दस माह हेतु) 750 रु. वार्षिक अनुदान (डेस्कॉलर) (दस माह हेतु)	--
6.	अल्प-संख्यक छात्रवृत्ति (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	अल्प-संख्यक समुदाय के विद्यार्थी	कक्षा 1 से 10	कक्षा 6 से 10— प्रवेश शुल्क – 500 रु वार्षिक या वास्तविक शुल्क, जो कम हो कक्षा 6 से 10— शिक्षण शुल्क— 350 प्रतिमाह या वास्तविक शुल्क, जो कम हो। (शैक्षणिक सत्र में 10 माह हेतु) कक्षा 1 से 10 (गैरछात्रावासी) रखरखाव भत्ता— 100 रु. प्रतिमाह कक्षा 6 से 10 (छात्रावासी) रखरखाव भत्ता— 600 रु. प्रति माह या वास्तविक (जो कम हो) (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	1.00 लाख वार्षिक आय
7.	विशेष पिछड़ा वर्ग (के.प्र.यो) (नोडल विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर)	विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8	छात्र 50 रु.प्रति माह छात्रा 100 रु. प्रति माह (शैक्षणिक सत्र में 10 माह)	2.00 लाख वार्षिक आय

प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (केवल डाइट हेतु)

क्र. सं	विवरण	पात्र	स्तर	कक्षावार मासिक दर (जुलाई से अप्रैल)	अभिभावक आय सीमा
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर- 380 / प्रतिमाह डेस्कालर- 230 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	2.50 लाख रु0 प्र.वर्ष तक
2	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर- 380 / प्रतिमाह डेस्कालर- 230 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	2.50 लाख रु0 प्र.वर्ष तक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर- 260 / प्रतिमाह डेस्कालर- 160 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	1.00 लाख रु0 प्र.वर्ष तक
4	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	डाइट में अध्ययनरत विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया- लोहार, गोडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रेबासी (देवासी)	बी.एस.टी.सी	हॉस्टलर- 380 / प्रतिमाह डेस्कालर- 230 / प्रतिमाह (शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु)	2.50 लाख रु0 प्र.वर्ष तक

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति। मद- आयोजना
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> • सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु। • अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को
3	प्रारंभ होने का वर्ष	25.02.94 से लागू (संशोधन 01.04.2003)
4	लाभान्वित वर्ग	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को जो विधालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे हो।
5	पात्रता	कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> • डेस्कॉलर कक्षा 1 से 8 हेतु 110/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवम् 750/- एकमुश्त। • हॉस्टलर कक्षा 3 से 8 हेतु 700/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवम् 1000/-रु एकमुश्त।
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • जाति प्रमाण पत्र • शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/ उपनिदेशक (प्राशि)/निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)

अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	<u>अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। <p><u>मद— आयोजना भिन्न व्यय</u></p>
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984 संशोधन— 2009 एवं संशोधन 2012
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना एवं अभिभावक / संरक्षक आयकर दाता न हो।
6	देय सुविधा	बालकों के लिए 75/- रु० प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए 125/- रु० प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहाँ किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/ बीईईओ/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशिः)/उपनिदेशक (प्राशिः)/निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)

अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	<u>अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>
2	संक्षिप्त परिचय	कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। <u>मद—आयोजना भिन्न व्यय</u>
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984 संशोधन— 2009, 2012
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना एवं अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता न हो।
6	देय सुविधा	बालकों के लिए 75/- रु० प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए 125/- रु० प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/उपनिदेशक (प्राशि)/निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)

पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति
2	संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र- छात्राओं को 40 रु0 प्रतिमाह की दर से एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृत्ति देंय है। <u>मद- आयोजना</u>
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2004-05
4	लाभान्वित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र- छात्राएं।
5	पात्रता	छात्र-छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो एवं अभिभावक/ संरक्षक आय वार्षिक 44500/- तक हो।
6	देय सुविधा	कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को 40 रु0 प्रतिमाह की दर से। एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृत्ति देंय है।
7	आवेदन का तरीका	सादा आवेदन पत्र में छात्र-छात्रा के अन्य पिछड़ा वर्ग का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
8	आवेदन कहां किया जावे	छात्र-छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य
11	कार्य न होने पर शिकायत/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/ बीईईओ/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/ उपनिदेशक (प्राशि) / निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)

पूर्व मैट्रिक छात्रवृति घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतु

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतु मद— आयोजना भिन्न व्यय
2	संक्षिप्त परिचय	घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984
4	लाभान्वित वर्ग	घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हो एवं अभिभावक/सरकार दाता न हो
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	बालको के लिए 15/- रु० प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए 20/- रु० प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/उपनिदेशक (प्राशि)/निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)

अल्पसंख्यक छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृति

1	योजना का नाम	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> • अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले छात्र व छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृति।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2008-09 से लागू
4	लाभान्वित वर्ग	अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो विधालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे हों।
5	पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत होना। • परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6	देय सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 6 से 8 तक— प्रवेश शुल्क 500/- रु. वार्षिक या वास्तविक जो कम हो। • कक्षा 6 से 8 शिक्षण शुल्क 350/- रु. प्रतिमाह या वास्तविक जो कम हो। (10 माह हेतु) • कक्षा 1 से 8 तक (गैर छात्रावासी) रखरखाव भत्ता— 100/- रु. प्रतिमाह • कक्षा 6 से 8 (छात्रावासी) रखरखाव भत्ता— 600/- रु. प्रतिमाह या वास्तविक जो भी कम हो।
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • आय प्रमाण पत्र • जाति प्रमाण पत्र • शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/ बीईआरो/ जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि)/ उपनिदेशक (प्राशि)/ निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डींग हो उससे उच्चतर अधिकारी)

विशेष पिछड़ा वर्ग के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	विशेष पिछड़ा वर्ग के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	संक्षिप्त परिचय	कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2010 व संशोधन 2012
4	लाभान्वित वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना एवं अभिभावक/संरक्षक वार्षिक आय 2,00,000/- तक हो
6	देय सुविधा	बालकों के लिए 50/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवं बालिकाओं के लिए 100/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान
11	कार्य न होने पर शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हेतु सम्पर्क अधिकारी	संस्था प्रधान/बीईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रांशि)/उपनिदेशक (प्रांशि)/निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (शिकायत जिस स्तर पर पेण्डीग हो उससे उच्चतर अधिकारी)